



**मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था
पेंशन योजना अंतर्गत**
म उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष
महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए
शेष वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 60 वर्ष
अंतिम स्तरीय शिविर
तिथि : 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक
आयत का नाम
एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
सरकार

92290702

